न्यायालयभूपबन्ध अधिकारी एव

पदेनराजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 50/2021

1. करणी कृपा कम्प्युटर सोसाइटी सरदारशहर जरिये सचिव किशोरसिंह राठोड पुत्र प्रेमसिंह राठोड जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 17 टांटिया कुआ सरदारशहर जिला चूरू ।

अपीलांट

बनाम

1. पूर्णी पत्नी बीझाराम जाति जांगिड ब्राहम्मण निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
2. बस्तीराम पुत्र बीझाराम जाति जांगिड ब्राहम्मण निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
3. भंवरलाल पुत्र बीझाराम जाति जांगिड ब्राहम्मण निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
4. सहीराम पुत्र नानूराम जाति जांगिड ब्राहम्मण निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब सरदारशहर ।

—**रेस्पोडेण्टस**

उपस्थितः— 1. श्री ऋषिराज सिंह शेखावत अधिवक्ता अपीलांट्

2. श्री रोशन अली अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के

निर्णय दिनांक 23.07.2021 के विरूद्व अपील

अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः— 09.012.2021

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 23.07.2021 के विरूद्व पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि ख0न0 619/428 तादादी 1.9000 हैक्टयर, ख0न0 621/506 रकबा 0.2500 हैक्टयर, ख0न0 725/620 रकबा 1.1636 हैक्टयर, ख0न0 726/620 रकबा 0.9864 हैक्टयर व ख0न0 728/726 रकबा 8.8679 हैक्टयर रोही उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर में दावा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एक पक्षीय आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गयी है ।
2. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि वादगत कृषि भूमि ख0न0 619/428 तादादी 1.9000 हैक्टयर, ख0न0 621/506 रकबा 0.2500 हैक्टयर, ख0न0 725/620 रकबा 1.1636 हैक्टयर, ख0न0 726/620 रकबा 0.9864 हैक्टयर व ख0न0 728/726 रकबा 8.8679 हैक्टयर रोही उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर में अपीलांट की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि रही है । उक्त वादगत भूमि के संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी द्वारा एक दावा अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना व साक्ष्य सबुतो का अवसर दिये बिना दिनांक 31.07. 2021 को गलत रूप से कानूनी प्रावधानो के विपरित जाकर अपीलांट के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए स्थगन आदेश जारी कर दिया । यह है कि कृषि भूमि ख0न0 728/726,ख0न0 725/620 एव 619/428 रोही उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू अपीलांट की एक मात्र खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है जिसे क्रय करने के बाद से अपीलांट बिना किसी विवाद के काश्त करता आ रहा है रेस्पो0 ने बिना अपीलांट को सूनवाई का अवरसर दिये ही एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया उक्त स्थगन की आड़ में रेस्पो0/वादी के खातेदारी भूमि के बिचो बिच नया रास्ता कायम करने के प्रयास में है अगर बिचोबिच नया रास्ता कायम कर दिया जाता है अपीलांट की भूमि अलग अलग भूखण्डो में विभाजित हो जायेगी जिससे अपीलांट को काश्त करने में खातेदारी भूमि को सारसंभाल करने में अत्यंत परेसानी का सामना करना पड़ेगा जबकि कृषि भूमि ख0न0 728/726 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे रेस्पोडेन्टान को आवागमन हेतु रास्ता दिया जाता है तो अपीलांट की भूमि का विभाजन भी नही होगा और परेसानियों का सामना भी नही करना पड़ेगा एवं उक्त

रास्ता रेस्पो0 की भूमि में जाने हेतु लघुतम रास्ता भी है जो की टिन्नेसी एक्त की धारा 251 ए के प्रावधानो के मुताबिक रास्ता कायम करने से अपीलांट को असूविधा भी नही होगी । अतः अपील अपोलांट की स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 को खारिज करावें ।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित कारणो व प्रस्तुत शपथ पत्र एवं बहस पर विश्वास करते हुऐ अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है ।

4. रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपीलांट पक्ष के अभिभाषक के तर्को को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि अधिलनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया जो विधिवत है क्यों कि उक्त रास्ता सदामत से रेस्पो0 उपयोग व उपभोग में लेते आ रहे है उक्त रास्ता कटाणी न होकर सदामत से पगडंडी का रहा है । अब अपीलांट द्वारा रेस्पो0 के आवागमन म बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा रेस्पो0 को धमकी दी जा रही है उसका रास्ता बंद कर देंगें । रेस्पो0 के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है । दावे में अंकित रास्ता ही एकमात्र सुविधाजनक रास्ता है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2021 को पालना यथावत रखी जावे । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

5. हमने अपीलांट/रेस्पो0 पक्ष की बहस सुनो व उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । जिससे यह साबित है कि कृषि भूमि ख0न0 728/726,ख0न0 725/620 एव 619/428 अपीलांट की एक मात्र खातेदारी की भूमि है । रेस्पो0 का ख0न0 427 अपीलांट के खातेदारी ख0न0 619/428, 725/620 व 728/726 की सींव के पश्चिमी तरफ चिपते हुए स्थित है । रेस्पो0 अपने खेत में जाने हेतु ख0न0 619/428 के मध्य से आवागमन कर रहा है जो सदामत से एक पगडंडी रास्ता है । जिसका राजस्व रेकार्ड में कोई अंकन नही है । अपीलांट द्वारा अपने खेत ख0न0 728/726,ख0न0 725/620 एव 619/428 के मध्य से रास्ता ना देकर रेस्पो0 को ख0न0 427 में आवागमन हेतु ख0न0 728/726 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे रास्ता दिया जाने से अपीलांट की भूमि का विभाजन भी नही होगा व असूविधा भी नही होगी और रेस्पो0 को अपने खेत ख0न0 427 में आवागमन हेतु रास्ता भी मिल जायेगा ।

6. अतः उक्त विवेचन एवं वि"लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवम अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2021 को अपास्त किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा अपने खेत ख0न0 728/726, ख0न0 725/620 एव 619/428 के मध्य से रास्ता ना देकर रेस्पो0 को ख0न0 427 में

आवागमन हेतु ख0न0 728/726 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे रास्ता दिया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल प़त्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

7. निर्णय आज दिंनाक 09.12.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराडी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
प्देन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर